यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवप्रयाग (टिहरी गढवाल) द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवप्रयाग (टिहरी गढवाल) के माह 01/2016 से 01/2019 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 20.02.2019 से 23.02.2019 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार एवं श्री देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 22.01.2016 से 27.01.2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 04/2012 से 12/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2016 से 01/2019 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा चिकित्सालय में आने वाले समस्त रोगियों का उपचार, प्रसव, निःशुल्क औषधि वितरण इत्यादि कार्य किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र देवप्रयाग क्षेत्र जिसमें आने वाले ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र के रोगियों का ईलाज किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2016–17	–	–	99.26	78.38	–	–	–	20.88	–	–
2017–18	–	–	69.37	58.23	–	–	–	11.14	–	–
2018–19 (01/2019)	–	–	80.34	72.57	–	–	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत			

* अवशेष बचत की धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः:

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2016–17	एन0एच0एम0 इत्यादि	0.06	4.10	3.98	–	0.18
2017–18		0.18	3.68	3.31	–	0.55
2018–19		0.55	–	–	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत	

(01/2019 तक)					

(iii) इकाई को बजट आबंटन अधिष्ठान मद हेतु राज्य सरकार तथा चिकित्सा प्रबन्धन समिति हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''सी'' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

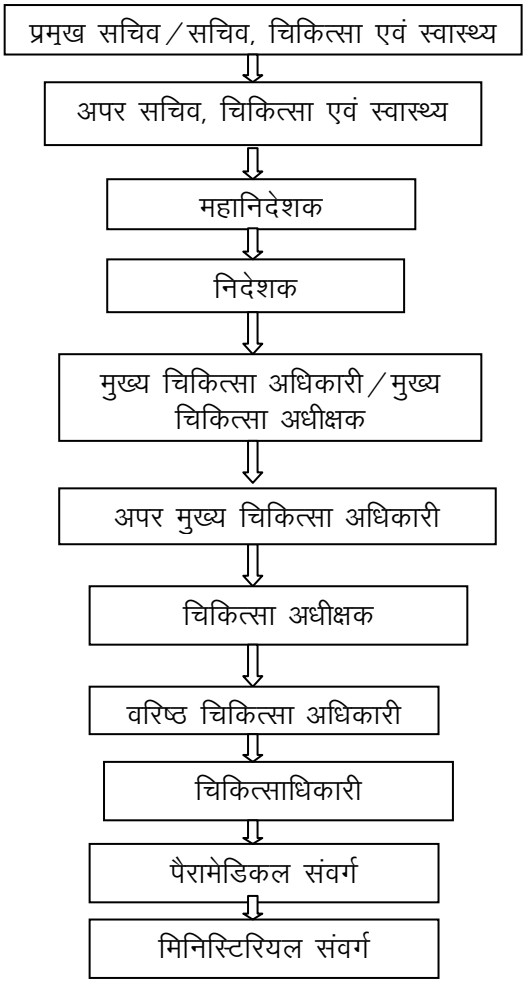

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि : लेखापरीक्षा में कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवप्रयाग (टिहरी गढवाल) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवप्रयाग (टिहरी गढवाल) की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 एवं मार्च 2018 को विस्तृत जॉच हेतु चयनित लेखापरीक्षा अवधि के माहों में अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971

(डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 यूजर चार्जेज के रुप में रु0 37,399.00 को जमा न किया जाना।

राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों में रोगियों को बेहतर एवं गुणवत्तापरक चिकित्सीय सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा सेवा शुल्क में संशोधन हेतु शासन द्वारा शासनादेश संख्या 715/XXVIII–5–2010–101/2003 दिनांक 21 जून 2010 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किए। निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार पंजीकरण शुल्क, विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय परीक्षण सेवा/सुविधाओं के प्रसंग में प्राप्त होने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत अंश राजकीय कोष में तथा 50 प्रतिशत अंश सम्बन्धित इकाई के स्तर पर चिकित्सालय रख–रखाव हेतु चिकित्सा प्रबंधन समिति के खाते में जमा की जानी थी। इसके अतिरिक्त प्राप्ति एवं व्यय नियम 1983 के प्रस्तर 6 के अनुसार राजस्व के रुप में प्राप्त समस्त धनराशि को बिना विलम्ब किए कोषागार या बैंक में जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवप्रयाग, टिहरी गढवाल के यूजर चार्जेज से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा यूजर चार्जेज के रुप में प्रतिदिन प्राप्त राशि को एकमुश्त रुप में 01 माह से 11 माह के विलम्ब से राजकोष/बैंक खाते में जमा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, चिकित्सालय को यूजर चार्जेज के रुप में वर्ष 2016–17 से 2018–19 (01/2019) तक कुल रु0 187986.00 की धनराशि प्राप्त हुई। नियमानुसार प्राप्त धनराशि में से बराबर–बराबर धनराशि अर्थात रु0 93993.00 राजकोष तथा चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में जमा किया जाना था, परन्तु चिकित्सालय द्वारा इसके विपरीत राजकोष में रु0 62569.00 एवं चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में रु0 88018.00 ही जमा किए गये, जो कि उक्त शासनादेश का सीधा उल्लंघन था **(विवरण संलग्न)**। इसप्रकार, विगत तीन वर्षों में कुल प्राप्त धनराशि के सापेक्ष रु0 37399.00 (राजकोष : रु0 31424.00 तथा चिकित्सा प्रबन्धन समिति : रु0 5975.00) कम जमा किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	कुल प्राप्त यूजर चार्जेज	समिति के खाते में जमा की जाने वाली राशि	समिति के खाते में जमा की गई राशि	समिति के खाते में कम जमा की गई राशि	राजकोष में जमा की जाने वाली राशि	राजकोष में जमा राशि	राजकोष में कम जमा राशि
2016–17	66222.00	33111.00	33113.00	(+) 2.00	33111.00	33109.00	2.00
2017–18	65314.00	32657.00	32658.00	(+) 1.00	32657.00	29460.00	3197.00
2018–19	56450.00	28225.00	22247.00	5978.00	28225.00	–	28225.00
योगः–	**187986.00**	**93993.00**	**88018.00**	**5975.00**	**93993.00**	**62569.00**	**31424.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि धनराशि न्यूनतम होने के कारण बिलम्ब से जमा किया गया। धनराशि जमा न किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि राजकोष में रु0 25442.00 की राशि चालान के माध्यम से दिनॉक 21.02.2019 में बैंक में प्रेषित की जा चुकी है परन्तु अभी बैंक में जमा न हो पाने के कारण चालान की प्रति कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। अवशेष धनराशि को शीघ्र ही जमा कर दी जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूजर चार्जेज में प्राप्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष एवं चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में 50 : 50 प्रतिशत के हिसाब से तथा राजस्व के रुप में प्राप्त समस्त धनराशि को बिना विलम्ब किए कोषागार या बैंक में जमा किया जाना चाहिए।

अतः यूजर चार्जेज के रुप में रु0 37,399.00 की धनराशि जमा न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 रु0 43456.00 के अनियमित व्यय के साथ–साथ रु0 549.00 का अधिक भुगतान।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली 2017 के प्रस्तर 33 एवं 34 के अनुसार यदि **क्रय** की जाने वाली सामग्री का मूल्य रु0 25,000 तक हो, तो ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति बिना कोटेशन/निविदा के खुले बाजार दर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र पर की जा सकती है तथा यदि **क्रय** की जाने वाली सामग्री का मूल्य रु0 25,000 से अधिक तथा रु0 2,50,000 तक लागत की सीमा में हो तो तीन सदस्यों की स्थानीय **क्रय** समिति की संस्तुतियों के आधार पर की जा सकती है।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवप्रयाग, टिहरी गढवाल के चिकित्सा प्रबन्धन समिति से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा वर्ष 2017–18 में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु सामग्रियों के **क्रय** हेतु तीन फर्मों (मै0 सार्थक, मै0 आकांक्षा एवं मै0 तेजस इन्टरप्राईजेज) से दिनॉक 12.03.2018 में कोटेशन के आधार पर दरें आमंत्रित की गई। जिसमें न्यूनतम दरें होने वाली फर्मों मै0 सार्थक इन्टरप्राईजेज, देहरादून से रु0 111455.00 एवं मै0 तेजस इन्टरप्राईजेज, देहरादून से रु0 10129.00 लागत की सामग्री **क्रय** की गई। लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि मै0 सार्थक इन्टरप्राईजेज, देहरादून से कुल **क्रय** की गई सामग्री रु0 111455.00 में से रु0 24604.00 लागत की सामग्री (बिल संख्या 125 दिनॉक 26.02.2018 रु0 16697.00 एवं बिल संख्या 180 दिनॉक 26.03.2018 रु0 7907.00) के **क्रय** हेतु फर्मों को निर्गत पत्र में सम्मिलित ही नहीं किया गया तथा बिना दरों के सीधे फर्म से उक्त सामग्री **क्रय** की गई। इसीप्रकार, दिनॉक 12.03.2018 में पुनः तीन फर्मों (मै0 आर0टी0 बायोमैडिकल, मै0 बेलवाल ब्रदर्स एवं मै0 एस0ए0 डायग्नोसिस) से कोटेशन दरें आमंत्रित कर न्यूनतम दर वाली फर्म का चयन किया गया। लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि मै0 एस0ए0 डायग्नोसिस, ऋषिकेश से कुल **क्रय** की गई सामग्री रु0 59647.00 में से रु0 18852.00 लागत की सामग्री (बिल संख्या ए–59 दिनॉक 21.03.2018) के **क्रय** हेतु फर्मों को निर्गत पत्र में सम्मिलित ही नहीं किया गया तथा बिना दरों के सीधे फर्म से उक्त सामग्री **क्रय** की गई। आगे, स्टॉक पांजिका की जॉच में पाया गया कि डिस्पो शिरींज 5 मिली0 की सामग्री बिल संख्या 180 दिनॉक 26.03.2018 में 500 मात्रा में दिखाई गयी, जबकि वास्तविक रुप से स्टॉक में 400 मात्रा ही प्राप्त की गई। इसप्रकार, डिस्पो शिरींज 5 मिली0 की 100 मात्रा फर्म द्वारा आपूर्ति ही नहीं की गई। चिकित्सालय द्वारा वास्तविक रुप से प्राप्त 400 मात्रा की सामग्री का भुगतान न कर 500 मात्रा का भुगतान किया गया, जिससे फर्म को कम आपूर्ति की गई 100 मात्रा का भुगतान रु0 549.00[1] अधिक किया किया गया।

इसप्रकार, कार्यालय द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली 2017 के विपरीत रु0 43456.00 का अनियमित व्यय के साथ–साथ रु0 549.00 का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अपने उत्तर में बताया कि स्वास्थ्य केन्द्र में इन सामग्रियों की अति–आवश्यकता होने के कारण चयनित फर्म से **क्रय** की गई, भविष्य में नियमानुसार **क्रय** किया जाएगा। 100 मात्रा कम आपूर्ति के सम्बन्ध में बताया कि फर्म से अवशेष 100 मात्रा

[1] डिस्पो शिरींज 100 @ रु0 4.90 = रु0 490.00 + CGST/SGST 12% = रु0 548.80

आपूर्ति किए जाने हेतु निर्देशित किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि इन सामग्रियों की अति–आवश्यकता थी तो इसे कोटेशन आमंत्रण पत्र में सम्मिलित किया जाना तथा आपूर्ति न होने वाली सामग्री का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था।

अतः रु0 43456.00 के अनियमित व्यय के साथ–साथ रु0 549.00 के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
171/2015–16	–	01 एवं 02 तथा स्टैन–01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
171/2015–16	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
	स्टैन–1	– तदैव –	– तदैव –	

भाग–IV
इकाई के सर्वोत्तम कार्य

— शून्य —

भाग–V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवप्रयाग (टिहरी गढवाल) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) } –– शून्य ––
   (ii) }

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i) } –– शून्य ––
   (ii) }

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 संजय जैन	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	29.10.2015 से 06.01.2017
2.	डा0 रामकुमार	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	06.01.2017 से 06.06.2017
3.	डा0 धर्मेन्द्र उनियाल	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	06.06.2017 से 16.01.2018
	डा0 विनय शर्मा	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	16.01.2018 से 20.07.2018
4.	डा0 अनिल चौहान	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	20.07.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवप्रयाग (टिहरी गढवाल) को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ रोड, निकट आई0एच0एम0, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र